न्यायालय, राजस्व मण्डल (मध्य प्रदेश) ग्वालियर

पुनर्विलोकन आवेदन कमांक— /2014

73

रिव्यू - 2571-III/14

आलोक कुमार लोहिया आत्मज श्री रामसेवक लोहिया नि0 तालदरवाजा रोड टीकमगढ म.प्र.

——पुनर्विलोकनकर्ता

बनाम

1.प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय टीकमगढ म.प्र.

2.जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ म.प्र.

3.मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर टीकमगढ

4.राजाराम जैन तनय कामताप्रसाद जैन (मृत) द्वारा वारिसान—

अ—बालचन्द्र जैन तनय राजाराम जैन

ब—पुष्पेन्द्र जैन तनय राजाराम जैन

स—वीरेन्द्र जैन तनय राजाराम जैन

द—अभय जैन तनय राजाराम जैन

ई—संगीता जैन पुत्री राजाराम जैन

एफ—दीपा जैन पुत्री राजाराम जैन

सभी निवासीयान सराफा बाजार टीकमगढ म.प्र.

——अनावेदकगण

क्रमांक 2475
रजिस्टर्ड पोस्ट ... आज
दिनांक ... को प्राप्त
... 8-14
... ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनर्विलोकन आवेदन अंतर्गत धारा 51, म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 सहपठित आदेश 47 नियम 1, व्यवहार प्रकिया संहिता, 1908 प्रतिकूल आदेश दिनांक 26/05/2014 सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर निगरानी कमांक 1554—1/2001

महोदय,

पुनर्विलोकनकर्ता की विनय सादर निम्नानुसार है :—

1— यह कि, धारा 228 विन्ध्यप्रदेश मालगुजारी तथा काश्तकारी अधिनियम, 1955 इस प्रकार है:—

(1) रीवा राज्य कानून मालगुजारी तथा काश्तकारी, 1935 और विन्ध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आर्डिनेंस, 1949 एतद द्वारा निरस्त किये जाते है।

(2) इस प्रकार निरसन किये जाने पर भी यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के समय रीवा लेण्ड रेवेन्यू एण्ड टेनेन्सी कोड, 1935 के अर्थ मे गैर हकदार काश्तकार के रूप मे भूमि प्राप्त किये हो तो वह उस भूमि को

क्रमशः--2

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक रिव्यू 2571--तीन/14 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–5–16	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । यह पुनरावलोकन मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 1554–एक/2002 में पारित आदेश दिनांक 26–5–14 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक द्वारा पुनरावलोकन आवेदन की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का अध्ययन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन विचारार्थ ग्राह्य किया जा सकता है :– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी. 2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती. 3– कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । पक्षकार सूचित हों, अभिलेख वापिस हो एवं प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	